<u>Bill No. 38 of 2017</u>

THE CRIMINAL LAWS (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2017

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 and Indian Penal Code, 1860 in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Criminal Laws (Rajasthan Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall be deemed to have come into force on and from 6th September, 2017.

CHAPTER II
AMENDMENTS IN THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

2. Amendment of section 156, Central Act No. 2 of 1974.- In section 156 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing sub-section (3), the following provisos shall be added, namely:-

"Provided that, under the aforesaid sub-section, no Magistrate shall order an investigation nor will any investigation be conducted against a person, who is or was a Judge or a Magistrate or a public servant, as defined under any other law for the time being in force, in respect

of the act done by them while acting or purporting to act in the discharge of their official duties, except with previous sanction under section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) or under any other law for the time being in force:

Provided further that the sanctioning authority shall ordinarily take a decision within one hundred and eighty days from the date of the receipt of the proposal for sanction:

Provided also that if the sanctioning authority fails to issue prosecution sanction within one hundred and eighty days, the prosecution sanction under section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) or under any other law for the time being in force shall be deemed to have been issued:

Provided also that no one shall print or publish or publicize in any manner the name, address, photograph, family details, or any other particulars which may lead to disclosure of identity of a Judge or Magistrate or a public servant against whom any proceeding under this section is pending, until the sanction as aforesaid has been or deemed to have been issued.".

3. Amendment of section 190, Central Act No. 2 of 1974.- In sub-section (1) of section 190 of the principal Act, after the existing clause (c), the following provisos shall be added, namely:-

"Provided that, under the aforesaid sub-section, no Magistrate shall order an investigation nor will any investigation be conducted against a person, who is or was a Judge or a Magistrate or a public servant, as defined under any other law for the time being in force, in respect of the act done by them while acting or purporting to act in the discharge of their official duties, except with previous sanction under section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) or under any other law for the time being in force:

Provided further that the sanctioning authority shall ordinarily take a decision within one hundred and eighty days from the date of the receipt of the proposal for sanction:

Provided also that if the sanctioning authority fails to issue prosecution sanction within one hundred and eighty days, the prosecution sanction under section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) or under any other law for the time being in force shall be deemed to have been issued:

Provided also that no one shall print or publish or publicize in any manner the name, address, photograph, family details, or any other particulars which may lead to disclosure of identity of a Judge or Magistrate or a public servant against whom any proceeding under this section is pending, until the sanction as aforesaid has been or deemed to have been issued.".

4. Amendment of the First Schedule, Central Act No. 2 of 1974.- In the first schedule to the principal Act under the heading **I. OFFENCES UNDER THE INDIAN PENAL CODE**, after the existing entries of section 228-A, and before the existing entries of section 229, of the Indian Penal code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860), the following entries shall be inserted, namely:-

"1	2	3	4	5	6
228-B	Disclosure of identity of certain public servants.	Imprisonment for two years and fine.	Cognizable	Bailable	Magistrate of the first class. ".

CHAPTER III
AMENDMENT IN THE INDIAN PENAL CODE, 1860

5. Insertion of section 228-B, Central Act No. 45 of 1860.- After the existing section 228-A, and before the existing section 229, of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860), the following new section shall be inserted, namely:-

"**228-B. Disclosure of identity of certain public servants.-** Whoever contravenes the provisions of fourth

proviso of sub-section (3) of section 156, and fourth proviso of sub-section (1) of section 190, of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years and shall also be liable to fine.”.

6. Repeal and savings.- (1) The Criminal Laws (Rajasthan Amendment) Ordinance, 2017 (Ordinance No. 3 of 2017) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Acts as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Acts as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Public Servants are entrusted with important task of policy formulation and decision making on matters of vital national interests. Such duties require a conducive and supportive environment, where they can operate in hassle free conditions. This is why they are given special protection under the Code of Criminal Procedure 1973, to insulate their working from every day allegations, many of which might be driven by vested interest, creating a fear psychosis and ultimately leading to indecision and policy paralysis.

Thus, the need of the hour is to fill in the existing gap, so as to retain protection for honest official while making corrupt realize that no one is above law. This can be done by scrutinizing cases of allegation first at administrative level.

There have been a number of cases in which complaints have been lodged both with the police and the Anti Corruption Bureau as well as in courts of law against public servants working with State Government of Rajasthan.

These amendments will provide protection to the public servants from scurrilous and non-substantiable charges and also protect honest public servants from inquiries and processes of court and police as previous sanction has been made mandatory.

The main issue is that false and fictitious cases are being brought before the police or judiciary with the intention of maligning, bringing avoidable and unnecessary disrepute or settling scores with an unrelenting public officer. This position needs to remedied and for this purpose publication of name, address, photograph, family details, or any other particulars which may lead to disclosure of identity of a Judge or Magistrate or a public servant against whom any proceeding is pending has been prohibited until the prosecution sanction is issued.

Accordingly, sections 156 and 190 of the Code of Criminal Procedure, 1973 are proposed to be amended suitably and a new section 228-B is proposed to be inserted in Indian Penal Code, 1860.

Since the Rajasthan State Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore,

promulgated the Criminal Laws (Rajasthan Amendment) Ordinance, 2017 (Ordinance No. 3 of 2017), on 6th September, 2017, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 7th September, 2017.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

गुलाब चन्द कटारिया,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM CODE OF CRIMINAL PROCEDURE ACT, 1973 (ACT NO. 2 OF 1974)

XX XX XX XX XX XX XX

156. Police officer's power to investigate cognizable case.- (1) to (2) xx

(3) Any Magistrate empowered under section 190 may order such an investigation as above-mentioned.

XX XX XX XX XX XX XX

190. Cognizance of offences by Magistrates.-(1) Subject to the provisions of this Chapter, any Magistrate of the first class, and any Magistrate of the second class specially empowered in this behalf under sub- section (2), may take cognizance of any offence-

(a) upon receiving a complaint of facts which constitute such offence;

(b) upon a police report of such facts;

(c) upon information received from any person other than a police officer, or upon his own knowledge, that such offence has been committed.

(2) The Chief Judicial Magistrate may empower any Magistrate of the second class to take cognizance under sub-section (1) of such offences as are within his competence to inquire into or try.

XX XX XX XX XX XX XX

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2017 का विधेयक सं. 38

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 को इसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह 6 सितम्बर, 2017 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय 2
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन

2. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 156 का संशोधन.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 156 में विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"परन्तु पूर्वोक्त उप-धारा के अधीन कोई मजिस्ट्रेट, ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए तात्पर्यित उनके द्वारा किये गये किसी कार्य के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन यथा-परिभाषित कोई न्यायाधीश या कोई

मजिस्ट्रेट या कोई लोक सेवक है या था, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 197 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पूर्व मंजूरी के सिवाय, किसी अन्वेषण का आदेश नहीं देगा और न ही उसके विरुद्ध कोई अन्वेषण संचालित किया जायेगा:

परन्तु यह और कि मंजूरी प्राधिकारी सामान्यत: मंजूरी के लिए प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से एक सौ अस्सी दिवस के भीतर-भीतर विनिश्चय करेगा:

परन्तु यह भी कि यदि मंजूरी प्राधिकारी एक सौ अस्सी दिवस के भीतर-भीतर अभियोजन मंजूरी जारी करने में असफल रहता है तो अभियोजन मंजूरी, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 197 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, जारी की हुई समझी जायेगी:

परन्तु यह भी कि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या किसी लोक सेवक, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही लम्बित है, का नाम, पता, फोटो, कुटुम्ब के ब्यौरे या अन्य कोई विशिष्टियां, जो उसकी पहचान का प्रकटीकरण करें, किसी भी रीति से मुद्रित या प्रकाशित या प्रचारित नहीं करेगा, जब तक कि यथापूर्वोक्त मंजूरी जारी न की गयी हो या जारी की गयी न समझी गयी हो।"।

3. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 190 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 190 की उप-धारा (1) में विद्यमान खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"परन्तु पूर्वोक्त उप-धारा के अधीन कोई मजिस्ट्रेट, ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए तात्पर्यित उनके द्वारा किये गये किसी कार्य के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन यथा-परिभाषित कोई न्यायाधीश या कोई मजिस्ट्रेट या कोई लोक सेवक है या था, दण्ड प्रक्रिया संहिता,

1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 197 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पूर्व मंजूरी के सिवाय, किसी अन्वेषण का आदेश नहीं देगा और न ही उसके विरुद्ध कोई अन्वेषण संचालित किया जायेगा:

परन्तु यह और कि मंजूरी प्राधिकारी सामान्यत: मंजूरी के लिए प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से एक सौ अस्सी दिवस के भीतर-भीतर विनिश्चय करेगा:

परन्तु यह भी कि यदि मंजूरी प्राधिकारी एक सौ अस्सी दिवस के भीतर-भीतर अभियोजन मंजूरी जारी करने में असफल रहता है तो अभियोजन मंजूरी, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 197 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, जारी की हुई समझी जायेगी:

परन्तु यह भी कि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या किसी लोक सेवक, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही लम्बित है, का नाम, पता, फोटो, कुटुम्ब के ब्यौरे या अन्य कोई विशिष्टियां, जो उसकी पहचान का प्रकटीकरण करें, किसी भी रीति से मुद्रित या प्रकाशित या प्रचारित नहीं करेगा, जब तक कि यथापूर्वोक्त मंजूरी जारी न की गयी हो या जारी की गयी न समझी गयी हो।"।

4. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की प्रथम अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में शीर्षक **1. भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध** के नीचे, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 228-क की विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् और धारा 229 की विद्यमान प्रविष्टियों से पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"1	2	3	4	5	6
228-ख	कुछ लोक सेवकों की पहचान का प्रकटीकरण	दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट"।

अध्याय 3

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संशोधन

5. 1860 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 45 में धारा 228-ख का अन्त:स्थापन.- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की विद्यमान धारा 228-क के पश्चात् और विद्यमान धारा 229 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

> "**228-ख. कुछ लोक सेवकों की पहचान का प्रकटीकरण.-** जो कोई भी, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 156 की उप-धारा (3) के चतुर्थ परन्तुक और धारा 190 की उप-धारा (1) के चतुर्थ परन्तुक के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"।

6. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश सं. 3) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

लोक सेवकों को अत्यावश्यक राष्ट्रीय हितों के मामलों पर नीति निर्माण और विनिश्चय करने का महत्वपूर्ण कार्य न्यस्त किया जाता है। इन कर्तव्यों के लिए अनुकूल और सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है, जहां वे परेशानी मुक्त परिस्थितियों में कार्य कर सकें। यही कारण है कि उन्हें अपने कार्य को प्रतिदिन के अभिकथनों से, जिनमें से कई निहित हित द्वारा प्रेरित होते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से भय पैदा करते हैं और अंततः अनिर्णय और नीति गतिहीनता की ओर अग्रसर करते हैं, अलग रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन, विशेष संरक्षण दिया है।

इस प्रकार समय की मांग है कि विद्यमान कमी की पूर्ति की जाये, ताकि ईमानदार पदधारी को संरक्षण मिले और भ्रष्टाचारी को यह एहसास हो कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह अभिकथनों के मामलों की प्रथमतः प्रशासनिक स्तर पर संवीक्षा द्वारा किया जा सकता है।

ऐसे अनेक मामले हैं, जिनमें राजस्थान राज्य सरकार में कार्य कर रहे लोक सेवकों के विरुद्ध पुलिस और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दोनों में, साथ ही विधि न्यायालयों में, शिकायतें दर्ज करायी गयी हैं।

ये संशोधन लोक सेवकों को अपमानजनक और निराधार आरोपों से संरक्षण प्रदान करेंगे और ईमानदार लोक सेवकों को न्यायालय और पुलिस जांचों एवं प्रक्रियाओं से भी सुरक्षा प्रदान करेंगे, जैसाकि पूर्व मंजूरी आज्ञापक कर दी गयी है।

मुख्य मुद्दा यह है कि एक कठोर लोक अधिकारी को बदनाम करने के आशय से परिहार्य और अनावश्यक अपयश फैलाने या बदला लेने के लिए, मिथ्या और काल्पनिक मामले पुलिस या न्यायपालिका के समक्ष लाये जा रहे हैं। इस स्थिति में सुधार किये जाने की आवश्यकता है और इस प्रयोजन के लिए, किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या किसी लोक सेवक, जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाही लम्बित है, का नाम, पता, फोटो, कुटुम्ब के ब्यौरे या अन्य किन्हीं विशिष्टियों का, जो उसकी

पहचान का प्रकटीकरण करें, प्रकाशन तब तक के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है, जब तक कि अभियोजन मंजूरी जारी न की गयी हो।

तदनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156 और 190 को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में नयी धारा 228-ख अंत:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 6 सितम्बर, 2017 को दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश सं. 3) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 7 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

गुलाब चन्द कटारिया,
प्रभारी मंत्री।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

156. संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति.- (1) से (2) XX XX XX XX XX

(3) धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है।

XX XX XX XX XX

190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान.- (1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उप-धारा (2) के अधीन विशेषतया सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है-

(क) उन तथ्यों का, जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर;

(ख) ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर;

(ग) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इत्तिला पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है।

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का, जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है, उप-धारा (1) के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है।

XX XX XX XX XX

<u>**2017 का विधेयक सं. 38**</u>

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 को इसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,

सचिव।

(गुलाब चन्द कटारिया, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 38 of 2017

THE CRIMINAL LAWS (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2017

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 and Indian Penal Code, 1860 in its application to the State of Rajasthan.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Secretary.

(Gulab Chand Kataria, **Minister-Incharge**)